न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जगरूप सिह यादव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री बंशीधर शर्मा
2. बंशीधर शर्मा पुत्र स्व॰ श्री जगन्नाथ शर्मा

निवासी मकान नं॰ एस॰बी॰ 109 बापूनगर, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. शशिधर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा
2. श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी श्री शशिधर शर्मा

निवासी मकान नं॰ एस॰बी॰ 109 बापूनगर, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 17.12.2018 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 20/2018 ब उनवानी श्रीमती कमला शर्मा बनाम शशिधर शर्मा

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 23-9-2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 20/2018 ब उनवानी श्रीमती कमला शर्मा बनाम शशिधर शर्मा में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2018 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण मकान नं॰ एस॰बी॰ 109 बापूनगर, जयपुर में निवास करते है जो अपीलार्थी संख्या 2 को उनके स्वर्गीय पिताजी श्री जगन्नाथ शर्मा द्वारा जरिये वसीयत दिनांक 26.5.1984 को दिया गया उनकी मृत्यु दिनांक 21.5.2003 के बाद उक्त मकान अपीलार्थी संख्या 2 के पूर्ण स्वामित्व में है, जिसके वे एक मात्र तन्हा स्वामी है। प्रत्यर्थीगण वर्ष 2002 से ही अपीलार्थीगण के साथ सदैव झगडा करती एवं अशोभनीय व्यवहार करते आ रहे है। जिस कारण अपीलार्थीगण का जीवन सदैव संकटपूर्ण एवं भय की स्थिति से गुजरता रहा है एवं सदैव किसी भी अनहोनी आशंका से ग्रसित रहता है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण हद्यघात की बीमारी से ग्रसित रहने लग गये है। उपरोक्त स्थिति से निजात पाने के लिए अपीलार्थीगण ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4, 5 व 23 के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष दिनांक 25.5.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के स्वामित्व के मकान से

जिला मजिस्ट्रेट कलक्टर) जयपुर

प्रत्यर्थीगण को निष्कासित कर दिया जावे, परन्तु अधिकरण ने अपीलार्थीगण की प्रार्थना पर चाहे गये अनुतोष पर तो विचार नहीं किया और उल्टा अपीलार्थीगण को ही आदेश दिनांक 31.12.2015 द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया और मकान में अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यर्थीगण को संरक्षण प्रदान कर दिया । जिससे व्यथित हो कर अपीलार्थीगण ने श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अपीलार्थीगण की सुनवाई के बाद समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों का विचार करके श्रीमान ने अपील को अपने आदेश दिनांक 22.03.2018 द्वारा स्वीकार करते हुये अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 31.12.2015 को निरस्त करते हुये प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे मे साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर प्रकरण को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित हो कर यह अपील पेश कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 17.12.2018 को निरस्त कर अपील को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुये । अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त मकानअपीलार्थी संख्या 2 को उसके पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुआ है। जब प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त मकान का तन्हा स्वामी माना गया है, तब बेदखली के आदेश प्रसारित किये जाने में कोई अडचन नही थी। फिर भी अधीनस्थ अधिकरण ने अधनियम की धारा 23 व श्रीमान के निर्देशों की पूर्ण रूप से जानबूझ कर अनदेखी करते हुये अधीनस्थ अधिकरण ने के परिवाद को खारिज कर दिया। धारा 3 व नियम 20(2) पर भी गौर नहीं किया गया। परिभाषा में स्पष्ट लिखा है कि सम्पत्ति पैत्रक हो और उसमें वृद्वजन का हित हो तो वृद्वजन इस अधिनियम के तहत गुहार लगा सकता है । उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में गत वर्ष माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैच का भी निर्णय आया है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण से मकान खाली करने के आदेश प्रसारित करावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 25.07.2019 को उपस्थित हो कर अपना स्थानान्तरण जिला जोधपुर में हो जाने का कथन करते हुये अपील में अपना नाम हजफ किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने लिखत बहस पेश कर कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अपने पुत्र शशिधर शर्मा प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 का विवाह करवाते समय इसय तथ्य को छिपाया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मानसिक रूप से अस्वस्थ् है तथा उसका मनोचिकत्सक से इलाज चल रहा है विवाह के पश्चात से ही अपीलार्थीगण का व्यवहार विपक्षी संख्या 2 के साथ कभी सही नही रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपासी सहमति से दिनांक 26.03.2008 को विपक्षी संख्या 2 के भाई की कुमारी नैना को गोद लिया था जिससे अपीलार्थीगण खुश नही थे व प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी पुत्री को यनेकेन प्रकारेण प्रताडित करते आ रहे है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किये जा रहे दुरव्यवहार एवं अत्याचार से परेशान हो कर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र संख्या 210/2011

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

माननीय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीस एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2011 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसके अन्तगर्त प्रत्यर्थी संख्या 1 को चिकित्सक को दिखाने तथा घर में परिवार के सदस्यों के लिए खाद्यय सामग्री राशन आदि का खर्चा करने के आदेश दिये गये। उक्त प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2015 को उभयपक्षकारान को सुन कर अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया गया । जिसके अन्तर्गत यह आदेश दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 शशिधर शर्मा या उसके अधिकृत अप्रार्थीगण जो कि उसके नाते व रिश्तेदार है, प्रर्थिया इस प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 2 व उसकी नाबालिग बच्ची को 20,000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में निर्णय की दिनांक से अदा करेगा। उक्त निर्णय के पश्चात भी अपीलार्थीगण विपक्षी संख्या 2 व उसकी बच्ची को हर प्रकार से प्रताडित करते रहते है तथा यह चाहते है कि विपक्षी संख्या 2 किसी प्रकार से उक्त मकान को खाली करके अन्यत्र चली जाये। अपीलार्थीगण का जो मकान एसबी 109 बापूनगर जयपुर में स्थित है वह पैत्रृक सम्पत्ति है ना कि अपीलार्थी द्वारा स्व अर्जित सम्पत्ति है। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी होने के नाते विपक्षी प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी नाबालिग पुत्री का भी उक्त मकान पर पूर्ण अधिकार है। अतः अपील खारिज फरमावें।

8. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

9. चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 शशिधर शर्मा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद में पक्षकार रहा है और अपीलार्थीगण ने उससे भी अनुतोष चाहा है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं है।

10. अपीलार्थी ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) के तहत अनुतोष चाहा है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि यदि इस बिल के प्रावधान के प्रारम्भ होने के पश्चात वरिष्ठ नागरिक उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पत्ति इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि अन्तरणी मूल सुख, सुविधाए और मूल भौतिक आवश्यकताए प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरणी ऐसी सुख सुविधाओं और भौतिक आवश्यकताए प्रदान करने में असफल हो जाता है या मना कर देता है, तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा आनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया माना जायेगा और वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा अन्तरण शून्य घोषित किया जावेगा। इस मामले में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की सम्पत्ति का अन्तरण होना नहीं पाया गया है। इसलिए इस प्रकरण में धारा 23 के प्रावधान लागू नही होते है और बिना प्रावधान लागू हुये किसी को अकारण सम्पत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

11. माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 3 वरिष्ठ नागरिकों के लिए Over riding effect रखती है एवं नियम 20(1) वरिष्ठ नागरिको के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को विवादित सम्पत्ति से निष्कासित कराना चाहा है और दौराने बहस प्रत्यर्थी संख्या एक शशिधर ने अपना नाम हजफ किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण व उनका पुत्र शशिधर शर्मा जो इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 है, आपस में मिलकर प्रत्यर्थी संख्या 2 जो कि अपीलार्थीगण की पुत्रवधु है एवं प्रत्यर्थी संख्या एक की पत्नी है, को ही निष्कासित कराना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नही है। इसलिए इस मामले में अधिनियम की धारा 3 एवं नियम 20 के

तहत कार्यवाही किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपीलार्थीगण का अपनी पुत्रवधु को विवादित सम्पत्ति से निष्कासित किये जाने बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

12. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्ष को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

13. निणर्य आज दिनांक 23-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर